लोक सुनवाई का विवरण

विषयः– ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) के तहत् मेसर्स चरौदा सैण्ड माईन (प्रो. श्री पंकज कुमार चंद्राकर) ग्राम चरौदा, तहसील पलारी, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.) स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1290, कुल क्षेत्रफल 20 हेक्टेयर में प्रस्तावित रेत (गौण खनिज) खदान उत्खनन क्षमता 3,60,000 घन मीटर प्रतिवर्ष तथा मेसर्स बलदाकछार लेण्ड माईन (प्रो. श्री तरुण गिलहरे) ग्राम बलदाकछार, तहसील कसडोल, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.) स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 230 कुल क्षेत्रफल 4.99 हेक्टेयर में प्रस्तावित रेत गौण खनिज खदान उत्खनन क्षमता 89,820 घन मीटर प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 25.04.2025 को आयोजित संयुक्त लोक सुनवाई का विवरण।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 (यथा संशोधित) के तहत् मेसर्स चरौदा सैण्ड माईन (प्रो. श्री पंकज कुमार चंद्राकर) ग्राम चरौदा, तहसील पलारी, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.) स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1290, कुल क्षेत्रफल 20 हेक्टेयर में प्रस्तावित रेत व खनिज खदान उत्खनन क्षमता 3,60,000 घन मीटर प्रतिवर्ष तथा मेसर्स बलदाकछार सेण्ड माईन (प्रो. श्री तरुण गिलहरे) ग्राम बलदाकछार, तहसील कसडोल, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.) स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 230, कुल क्षेत्रफल 4.99 हेक्टेयर में प्रस्तावित रेत गौण खनिज खदान उत्खनन क्षमता 89,820 घन मीटर प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने बाबत् लोक सुनवाई कराने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में आवेदन किया गया है। दैनिक समाचार पत्र पंजाब केसरी तथा पत्रिका में दिनांक 24 मार्च 2025 को लोक सुनवाई की सूचना प्रकाशित करवाई जाकर दिनांक 25.04.2025 को समय प्रातः 11:00 बजे से स्थान–ग्राम बलदाकछार, तहसील कसडोल, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.) में संयुक्त लोक सुनवाई नियत की गई थी, जिसकी सूचना संबंधित ग्राम पंचायतों को प्रेषित की गई व तामिली भी ली गई।

प्रस्तावित परियोजनाओं के पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् संयुक्त लोक सुनवाई दिनांक 25.04.2025 को सुश्री दीप्ति गौते, अपर कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। लोक सुनवाई के दौरान श्री आर.आर. दुबे, अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) कसडोल, श्री कैवर्त्य, नायब तहसीलदार, कसडोल, श्रीमती नीलिमा सोनकर, मुख्य रसायनज्ञ, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर तथा गणमान्य जनप्रतिनिधि एवं लगभग 60–70 जन सामान्य उपस्थित थे। संयुक्त लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार हैः–

1. लोक सुनवाई प्रातः 11:00 बजे से प्रारंभ हुई।

2. सर्वप्रथम उपस्थित लोगों की उपस्थिति दर्ज कराने की प्रक्रिया आरंभ की गई। जिन लोगों ने उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर किये हैं, उनकी सूची संलग्नक–01 अनुसार है, (पृष्ठ क्रमांक 1 से 06 तक)।

3. मुख्य रसायनज्ञ, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं की संयुक्त लोक सुनवाई के प्रक्रिया के संबंध में जानकारी देते हुये अपर कलेक्टर महोदय से लोक सुनवाई प्रारंभ करने का निवेदन किया गया।

4. अपर कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा द्वारा संबोधित किया गया कि आज की जनसुनवाई में आप सभी का स्वागत है। जनसुनवाई के शुरुआत में परियोजना प्रस्तावक से आग्रह करूँगी कि वे अपनी बातें रखें। उसके पश्चात् आप सभी एक–एक कर अपने विचार, सुझाव, आपत्ति जो भी है, उसको यहॉ पर सामने में आकर, अपना नाम बताएंगे, अपना पता बताएंगे और अपनी बातों को रखेंगे।

5. परियोजना प्रस्तावक की ओर से श्री पंकज कुमार चंद्राकर द्वारा जानकारी प्रस्तुतीकरण के अनुक्रम में संबोधित किया गया कि आज दिनांक 25.4.2025 को भूमि खसरा नंबर 224, रकबा 0.7370 हेक्टेयर क्षेत्र में पंकज कुमार चंद्राकर द्वारा ग्राम चरौदा, तहसील पलारी एवं तरुण कुमार गिलहरे द्वारा ग्राम बलदाकछार, तहसील कसडोल, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा में आवेदित खनिज साधारण रेत खदान के पर्यावरणीय स्वीकृति प्रक्रिया के तहत आयोजित संयुक्त लोक सुनवाई कार्यक्रम में माननीय अपर कलेक्टर जिला बलौदाबाजार–भाटापारा, माननीय क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर, समस्त गणमान्य आगंतुक एवं उपस्थित समस्त ग्राम वासियों का हम स्वागत करते हैं एवं माननीय अपर कलेक्टर महोदय की अनुमति से आवेदित रेत खदान के संबंध में जानकारी देने के लिए हमारी ओर से हमारे नेबैट प्रमाणित अल्ट्राटेक एन्वॉयरन्मेंट कंसल्टेंसी एंड लेबोरेटरी, ठाणे के पर्यावरणीय सलाहकार मंडल के अधिकृत व्यक्तिक्त को आमंत्रित करते हैं।

6. कुमारी भूमिका सिन्हा, पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा जानकारी प्रस्तुत करते हुए संबोधित किया गया कि परियोजना प्रस्तावक श्री पंकज कुमार चंद्राकर की चरौदा रेत खदान परियोजना व श्री तरुण कुमार गिलहरे की बलदाकछार रेत खदान परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति प्रक्रिया के तहत आज दिनांक 25.04.2025 को आयोजित संयुक्त लोक सुनवाई कार्यक्रम में आपका स्वागत है। खदानों का कुल क्लस्टर क्षेत्र 24.99 हेक्टेयर, लोक सुनवाई की जानकारी को दो समाचार पत्रों क्रमशः पत्रिका रायपुर एवं पंजाब केसरी नई दिल्ली में दिनांक 24.03.2025 को प्रकाशित किया गया

है। लोक सुनवाई संपन्न होने की नियत तिथि एवं स्थान की सूचना को सार्वजनिक किया गया। आदेशानुसार कोटवार, ग्राम पंचायत चरौदा व बलदाछार द्वारा समस्त सार्वजनिक स्थानों पर मुनादी कराते हुए लोक सुनवाई का दिन, समय और स्थान को मुनादी करते हुए जन सामान्य को सूचना दी गई। लोक सुनवाई हेतु जनसूचना के संबंध में कार्यालय कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा द्वारा दिनांक 10.03.2025 को पत्र जारी किया गया था। प्रस्तावित परियोजना का आधार– खनिज विभाग जिला बलौदाबाजार–भाटापारा द्वारा छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत उत्खनन एवं व्यवसाय नियम 2019 के नियम 6 के अनुसार रेत खदान की नीलामी के उपरांत आवेदक को अधिमानी बोलीदार घोषित करने के साथ 5 वर्षों के रेत खनन के लिए आशय पत्र जारी किया गया है। रेत खदान का उत्खनिपट्टा के लिए नियमानुसार समस्त शासकीय अनुमतियॉ प्राप्त की गई है एवं की जा रही है। आवेदित क्षेत्र से संवेदनशील संरचनाओं की दूरी मानकों से अधिक है। वर्तमान उत्खनन योजना के अनुसार चरौदा रेत खदान में कुल रिकवरेवल रिजर्व 3,60,000 घन मीटर एवं बलदाकछार रेत खदान में कुल रिकवरेबल रिजर्व 89,820 घन मीटर है। चरौदा सेंड माईन में वर्षवार उत्पादन 5 वर्षों तक प्रतिवर्ष 3,60,000 घन मीटर उत्पादन प्रस्तावित है। बलदाकछार सेंड माईन में वर्षवार उत्पादन 5 वर्षों तक प्रतिवर्ष 89,820 घन मीटर प्रस्तावित है। चरौदा रेत खदान में कुल जलशक्ति की आवश्यकता 9 किलोलीटर प्रतिदिन होगी। बलदाकछार रेत खदान में कुल जलशक्ति की आवश्यकता 6.50 किलोलीटर प्रतिदिन होगी। चरौदा रेत खदान में कुल जनशक्ति की आवश्यकता 24 व्यक्ति की होगी। बलदाकछार रेत खदान में कुल जनशक्ति की आवश्यकता 21 होगी। आवश्यकतानुसार नियमानुसार बोरवेल से जल की आपूर्ति की जावेगी एवं पानी निकट ग्राम से ही लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन की रोजगार नीति के अनुसार एवं योग्यता तथा अनुभव के आधार पर स्थानीय ग्रामीणों को परियोजना में प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान किया जावेगा। दोनों खदानों में कुल मशीनों एवं उपकरणों की संख्या 12 होगी। जलवायु स्थिति– अध्ययन काल शीत ऋतु अक्टूबर 2023 से जनवरी 2024, अधिकतम तापमान 28.48 डिग्री सेंटीग्रेट, न्यूनतम तापमान 7.83 डिग्री सेंटीग्रेट, हवा की गति 2.2 मीटर प्रति सेकंड, प्रभावी पवन की दिशा उत्तर–पूर्व, औसत वर्षा 0 से 1.92 मिलीमीटर। पर्यावरणीय आधारभूत अध्ययन काल– वायु, ध्वनि, जल एवं मृदा के विश्लेषण के परिणाम निर्धारित मानकों के भीतर पाए गए। वायु, जल, मृदा, स्वास्थ्य, वनस्पति एवं जीव प्रबंधन सुरक्षात्मक उपाय– लोडिंग एवं हॉल रोड पर पानी का छिड़काव किया जावेगा। ट्रकों को तर्पोलीन द्वारा ढंका जावेगा, ओवरलोडिंग को रोका जाएगा, सभी परिवहन साधनों के लिए वैध पीयूसी होना सुनिश्चित किया जाएगा। एप्रोच रोड कच्ची सड़कों में एवं नदी तट में पौधे लगाकर हरित पट्टिका का विकास किया जाएगा। वाहनों की आवाजाही और लोडिंग

आदि के कारण धूल के उत्पादन और प्रभाव के प्रदूषण को कम करने के लिए पानी का छिड़काव किया जाएगा। डीजल इंजनों का नियमित रख–रखाव किया जाएगा। सक्रिय चैनल में खनन नहीं किया जाएगा और सक्रिय चैनल के साथ न्यूनतम 3 मीटर का बफर जोन छोड़ा जाएगा, ताकि जलीय जीवन और नदी के प्राकृतिक प्रवाह में बाधा न आए। आवेदित नदी तट क्षेत्र पर रेत का जमाव औसत 5 मीटर या उससे अधिक की गहराई तक है। इस क्षेत्र में भूजल स्तर नदी के तल के सतह के स्तर से 4 मीटर गहराई से नीचे है। खनन 3 मीटर की गहराई तक सीमित रहेगा। रेत में कोई विषैला तत्व नहीं है। रेत खनन से भूजल पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। खनन कार्य के दौरान कोई अपशिष्ट जल उत्पन्न नहीं होगा। अस्थाई साइट कार्यालय और एक विश्राम आश्रय का निर्माण किया जाएगा। खदान कार्यालय और विश्राम आश्रय से उत्पन्न घरेलू अपशिष्टों के निपटान के लिए सेप्टिक टैंक और सोक गढ्ढे प्रदान किए जाएंगे। ऑन साइड प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध रहेंगी और आपात स्थिति में कर्मचारियों को स्थानीय समुदाय तक पहुंचाया जाएगा। ध्वनि गुणवत्ता प्रबंधन सुरक्षात्मक उपाय– ध्वनि स्तर को कम करने के लिए वाहनों एवं मशीनों का उचित रख–रखाव, आयलिंग एवं ग्रीसिंग की जाएगी। सभी कर्मचारियों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। ध्वनि के प्रसार को कम करने के लिए कच्ची सड़कों, नदी तट एवं अप्रोच सड़क पर हरित पट्टिका का विकास किया जाएगा। आवेदित ध्वनि परीक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। जोखिम अन्य श्रमिकों द्वारा कान के मफ का उपयोग किया जाएगा। खनन उपकरण पर काम करते समय कोविड–19 को देखते हुए कान के मफ मास्क व सभी आवश्यक पीपीई किट प्रदान किए जाएंगे। हरित पट्टिका विकास– दोनों खदानों के समीप नदी के किनारे कुल 5000 पौधे स्थानीय प्रजाति के जैसे– अर्जुन, जामुन, करंज, शीशम, कदम आदि पौधे लगाए जाएंगे एवं सुरक्षा के लिए फेंसिंग की जाएगी। छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत उत्खनन एवं व्यवसाय नियम 2019 एवं बाद में हुए संशोधनों उसमें निहित निर्देशों के अनुसार खनन कार्य किया जाएगा। व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा– माईंस नियम 1956 के अनुसार प्रारंभिक चिकित्सा जांच और श्रमिकों की आवधिक चिकित्सा की जांच आयोजित की जाएगी। सफाई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सभी कर्मचारियों को प्राथमिक उपचार और चिकित्सा सुविधाएं एवं व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए उपाय अपनाए जाएंगे। श्रमिकों को आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा कक्ष और सभी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। खदान के लिए उचित अग्निशमन सुविधा की व्यवस्था की जाएगी। परियोजना से सामाजिक–आर्थिक पर्यावरण पर प्रभाव– परियोजनाओं से कृषि भूमि को कोई नुकसान नहीं है, परिणामतः परियोजना गतिविधि से कोई भी अन्य भूमि या मानव बस्ती प्रभावित नहीं होगी। बेहतर शिक्षा एवं स्वास्थ्य मानकों के साथ परिवहन और संचार सुविधा को क्षेत्र के आसपास विकसित होगा

जिसका स्थानीय निवासियों को लाभ मिलेगा। खनन पट्टा क्षेत्र के आसपास के निवासी मुख्य रूप से कृषि प्रधान हैं। रोजगार गतिविधियों के अवसर सृजित होंगे और खनन स्थाई आजीविका के स्रोत के रूप में काम करेगा जिससे भूमिहीन और श्रमिक वर्ग के लिए अधिक आजीविका का विकास विकल्प पैदा होगा। आसपास के निवासियों को बेहतर रोजगार और अवसर के साथ रखा जाएगा जिससे स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा जिससे स्थानीय निवासरत् लोगों को जीवन स्तर सामान्य से बेहतर होगा। अतः खनन परियोजनाओं से सामाजिक–आर्थिक रूप से समग्र प्रभाव सकारात्मक रहने की उम्मीद है। परियोजनाओं से लाभ– निर्माण के लिए उपयोगी आर्थिक संसाधन उत्पन्न करना, रोजगार पैदा करना, अध्ययन क्षेत्र के लोगों के सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार, भौतिक बुनियादी ढांचे में सुधार, रोजगार क्षमता में वृद्धि, खनन के दौरान और बाद में हरित आवरण में वृद्धि, अवैध खनन की रोकथाम, राजकोष में योगदान। परियोजनाओं की लागत– चरौदा रेत खदान एवं बलदाकछार रेत खदान के लिए कुल पूंजीगत लागत की राशि 1,31,008.86 लाख रुपए होगी। चरौदा रेत खदान के लिए सीएसआर की कुल प्रस्तावित राशि 02 लाख रूपए होगी एवं बलदाकछार रेत खदान के लिए सीएसआर की कुल प्रस्तावित राशि 0.72 लाख रुपए होगी। व्यक्तिगत पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत खदान के समीप नदी के किनारे वृक्षारोपण, एप्रोच रोड में जल छिड़काव की व्यवस्था, ट्रक का रख–रखाव, खान श्रमिकों के लिए सुविधाएं इत्यादि के लिए बजट चरौदा रेत खदान के लिए पूंजीगत लागत की राशि रुपए में 5,73,700 रू. चरौदा रेत खदान के लिए आवर्ती लागत रुपए में 8,76,000 रू. होगी। बलदाकछार रेत खदान के लिए पूंजीगत लागत रुपए में 2,09,125 रु. आवर्ती लागत रुपए में 4,63,500 रू. संयुक्त पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत खदान के समीप नदी के किनारे वृक्षारोपण एवं एप्रोच रोड में जल छिड़काव की व्यवस्था की जाएगी तथा पर्यावरण की निगरानी के साथ–साथ ग्रामीणों के स्वास्थ्य परीक्षण इत्यादि के लिए भी संयुक्त रूप से पृथक बजट बनाया जाएगा। निष्कर्ष– यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि खनन परियोजनाओं के प्रारंभ होने के साथ ही आसपास के क्षेत्र एवं स्थानीय निवासियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने और बुनियादी ढांचे के विकास का अवसर प्राप्त होगा। खनन परियोजनाओं से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से रोजगार का सृजन होने से क्षेत्र के निवासियों को उपलब्ध संसाधनों के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह खनन परियोजना से राज्य के राजकोष में राजस्व में भागीदारी के साथ–साथ राज्य के वित्तीय विकास में अपना अंशदान एवं योगदान भी देगा, जो राज्य शासन के वित्तीय विकास में क्षेत्र के निवासियों की भागीदारी साबित करेगा। परियोजनाओं से संबंधित अन्य जानकारियॉ– परियोजना से संबंधित अन्य समस्त जानकारियॉ पर्यावरण प्रभाव आंकलन रिपोर्ट, पर्यावरण प्रबंधन रिपोर्ट,

कार्यकारी सारांश इत्यादि को नियमानुसार पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराई गई है। प्रस्तुतीकरण की प्रति लोक सुनवाई के अध्यक्ष अपर कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा, क्षेत्रीय अधिकारी राज्य पर्यावरण संरक्षण मंडल रायपुर तथा सहयोगी दल को भी उपलब्ध करा दी गई है। आगे की कार्यवाही के लिए अध्यक्ष महोदया से निवेदन करती हूँ, धन्यवाद।

अपर कलेक्टर जिला बलौदाबाजार–भाटापारा द्वारा संबोधित किया कि आपने दोनों खदानों के बारे में जो लागत और जो प्रोडक्शन की जानकारी है उसके बारे में सुन लिया है। अब आप अपने सुझाव, प्रस्ताव, खदान के पक्ष में या विपक्ष में जो भी बात बोलना चाहते हैं यहॉ पर समक्ष में आकर आप बोल सकते हैं। लिखित में भी आप अपना सुझाव या आवेदन या अपनी बात को रख सकते हैं।

रेत खदान के पक्ष में आप अपना समर्थन या आप कोई आपत्ति या कोई सुझाव बताना चाहते हैं तो मौखिक में या फिर लिखित में भी आप दे सकते हैं। आमंत्रित करती हूँ आप लोगों को एक–एक करके आप आकर अपनी बात रखें।

1. श्री संजय यादव, ग्राम बलदाकछार, विकासखंड कसडोल ने कहा कि मेरी बहू भूमिका यादव का राशन कार्ड बनवाना है।

2. श्री श्याम यादव, ग्राम चरौदा ने कहा कि वृक्षारोपण और पानी डालें।

3. श्री तीरथ राम निषाद, ग्राम बलदाकछार ने कहा कि प्रशासन तय कर चुका है कि ठेका देना है हम गांव वालों को यह बात पता नहीं है कि ठेका हो रहा है कि नहीं हो रहा है आप आए हैं सुझाव दे रहे हैं अच्छी बात है उसमें हमारा हित हो और शासन का भी हित हो इसमें हमारा समर्थन है लेकिन किसी प्रकार से इसमें कोई दखलंदाजी नहीं आनी चाहिए कहा जाए कि रेती लेने वाले आते हैं तो कहा जाए कि डंपर गाड़ी आता है उसमें उल्टा पुल्टा बात सुनने को मिलता है यह साफ सुथरा रहे अच्छे से चलाएं और चल जाए।

4. श्री रमेश कुमार ध्रुव, सरपंच, ग्राम पंचायत बलदाकछार ने कहा कि शासन के नियमानुसार यहॉ पर आज पर्यावरणीय खनिज विभाग संबंधी जनसुनवाई कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है जनता का भी स्वागत है। मैं आज मेरे गांव बलदाकछार में रात्रिकालीन मीटिंग रखा था, विचार विमर्श किए तो विभिन्न प्रकार की बात होती है, बहुत लोग कहते हैं कि खनिज को हम बेचते हैं तो जल स्तर नीचे जा रहा है तो यह दोहन नहीं करवाना चाहिए, बहुत लोग पक्ष में भी बोलते हैं तो आप लोगों को ज्यादा जानकारी है ज्यादा विचार रख सकते हैं। मैं जनता से भी निवेदन करता हूँ कि आप

लोग भी आएं और आकर के अपने–अपने विचार को व्यक्तिगत विचार है, सुझाव में है, विपक्ष में है, पक्ष में है रखें आग्रह करता हूॅ। बाद में इसके नाम से झगड़ा होते हैं बस्ती में वह अच्छी बात नहीं है। अब शासन के अनुसार तो वहॉ से सभी कार्यक्रम हो चुका है तो यह जनसुनवाई है आप जनता का विचार चाहिए। मै एक बार फिर आऊंगा बोलने के लिए।

अपर कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा द्वारा संबोधित किया गया कि पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए जनसुनवाई आयोजित की गई है और इस जनसुनवाई में आप अपना सुझाव, अपना आपत्ति या अपना समर्थन रख सकते हैं। आमंत्रित हैं अपना विचार, अपना पक्ष, अपनी बात या अपना कोई सुझाव आप रखना चाहते हैं तो मौखिक रूप से या फिर लिखित रूप से भी आप यहॉ पर जमा कर सकते हैं।

5. श्री थानूराम साहू, ग्राम चरौदा ने कहा कि सुनने में आया है कि ग्राम चरौदा के रेत घाट नीलाम किया गया है परंतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल रायपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा ठेका होने के पहले किसी भी प्रकार से विचार गांव की अनुमति नहीं लिया गया है, यह तो शासन की एक मंशा रूपी जो है एक मनमानी का काम है क्योंकि पर्यावरण के तहत गांव में क्या समस्या उत्पन्न होगी गाड़ी निकलने से रेत खनन से क्या गांव में प्रभाव पड़ेगा इसकी किसी भी प्रकार से जानकारी नहीं लिया गया है तो हमारे गांव की तरफ से जो भी पर्यावरण संरक्षण मंडल के द्वारा जिस किसी ठेकेदार को नीलाम किया गया है पर्यावरण और गांव की दूषित हवाओं से बचाने के लिए ठेका निरस्त किया जाए।

6. श्री मिथिलेश कुमार जायसवाल, उप सरपंच, ग्राम पंचायत चरौदा ने कहा कि आदरणीय एसडीएम महोदय और आदरणीय कलेक्टर महोदय ठेका तो हो गया है हम लोगों को ऐसा लगता है जो कुछ भी हो रहा है वह अपना खाना पूर्ति कर रहे हैं क्योंकि कब ठेका हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, किसी को पता नहीं है, हमारे गांव वालों को। यदि ठेका हो गया है तो अपने नियम के अनुसार निकाले और चैन वगैरह से न निकाले मजदूर के द्वारा निकाले ताकि मजदूरों को मजदूरी मिल सके।

अपर कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा द्वारा संबोधित किया गया कि आपकी आपत्ति, सुझाव जो भी आप दे रहे हैं वह सारी की सारी चीज जो है कैमरे में वीडियो में जो है रिकॉर्ड की जा रही है और वह पर्यावरण मंडल को प्रेषित की जाएगी।

श्री मिथिलेश कुमार जायसवाल ने पुनः कहा कि आदरणीय महोदय मेरे यहॉ सरपंच और जनपद आ रहे हैं, गाड़ी के नाम से थोड़ा लेट हो गया है 10 मिनट कम से कम इंतजार कीजिए मैडम।

श्री रमेश कुमार ध्रुव, सरपंच, ग्राम पंचायत बलदाकछार ने पुनः कहा कि मैं अपने ग्राम बलदाकछार के समस्त जनता को एक बार पुनः आग्रह करता हॅू यह बहुत बड़ा मंच है आएं अपना सुझाव रखें इसके बाद बाद में उस लकीर को लाठी मारेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा और हम तो पूरा आपके समर्थन में है आप जिस दिशा में चलेंगे उसके पीछे–पीछे हम भी चलेंगे कैसे उचित लगता है उचित नहीं लगता है आईये आप आग्रह करता हॅू मैं एक–एक आ जाइए और बोलिए क्या उचित है तो आकर बोलिए और सार्वजनिक तौर पर नहीं बोल सकते हैं, यही तो है।

7. श्री जितेंद्र दास मानिकपुरी, ग्राम बलदाकछार ने कहा कि रेत उत्खनन से बहुत बड़े कष्ट का सामना करना पड़ रहा है मेम हम लोगों को अभी हाल ऐसा हो गया है कि हम लोग किसानी किए हैं किसानी के लिए बोर में पानी नहीं निकल रहा है और इसमें कहीं न कहीं जो जल स्तर के नीचे गिरने का कारण लगता है कि यह रेत उत्खनन भी इसमें शामिल है तो रेत उत्खनन के लिए बिल्कुल यह सही नहीं है हमारे बलदाकछार में तो उसके लिए मैं अपील करता हॅू और हमारे गांव की जनता से भी अपील करता हॅू कि आकर अभी बोल सकते हैं तो बोलिए।

8. श्री चरण दास कोसले, पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत चरौदा ने कहा कि आप लोगों के पत्र के माध्यम से जनसुनवाई कार्यक्रम रखा गया है इसमें हम लोग आए हैं सभी लोग जैसे कि रेत घाट संबंधित जैसे कि अभी जनसुनवाई रखा गया है तो इसमें रेत घाट तो संचालित होता है लेकिन इसमें राजस्व का फायदा मतलब ग्राम पंचायत को नहीं हो पाता है इसमें बाहर बाहर ग्राम पंचायत को फायदा हो जाता है ग्राम पंचायत चरौदा में पहले से भी रेत घाट संचालित हो रहा था लेकिन उसमें जो गौण खनिज का जो फंड आता है वह अभी तक ग्राम पंचायत को मिलता नहीं है और 24–24 घंटा मतलब गौण खनिज का रेत घाट का उत्खनन होता है जिससे कि मतलब पर्यावरण भी प्रदूषित होता है और सभी प्रकार के नुकसान का सामना मतलब ग्राम पंचायत को होता है न रोड भी ढंग से बन पाते हैं क्योंकि सबसे पहले तो रोड की समस्या रहती है तो रोड को समुचित रूप से मतलब बनाना चाहिए और जो मूलभूत समस्या है उसका समाधान होना चाहिए लेकिन नहीं हो पाता है यह मतलब बहुत बड़ी गंभीर समस्या है अधिकारी के पास भी जाते हैं तो अधिकारी भी सुनते नहीं है जो गौण खनिज माइनिंग विभाग में जो अधिकारी है वे पूरा ठेकेदार के माध्यम से सांठगांठ करके चलाते हैं और किसी प्रकार का मतलब ग्रामीण स्तर में जो समस्या रहती है

उसको सुनना ही पसंद नहीं करते हैं कई बार फोन के माध्यम से भी संपर्क करो तो भी कार्यवाही नहीं करते हैं यह मतलब समस्या है बहुत बड़ा तो इसमें कार्यवाही होना चाहिए अभी भी जैसे कि दतरेंगी घाट है बम्हनी घाट है चरौदा घाट का अभी जनसुनवाई है बलदाकछार का भी है हम लोग तो मतलब चाहते हैं कि राजस्व आए ग्राम पंचायत में विकास हो लेकिन विकास नहीं हो पाता है और गर्त में डूबते जाते हैं जैसे कि ग्राम पंचायत चरौदा का गौण खनिज रेत घाट संचालित होता है अभी अभी तो 50 एकड़ का मतलब 20 एकड़ हुआ है टेंडर में लेकिन उसके माध्यम से हमें यह सब नहीं प्राप्त होता है हम लोग कलेक्टर के पास भी जाते हैं लेकिन कलेक्टर भी सुनने के लिए भी मतलब मना कर देते हैं आज तक हमारे ग्राम पंचायत में जैसे कि स्कूल बाउण्ड्री नहीं बन पाया है अंग्रेज के जमाने से संचालित हो रहा है ग्राम पंचायत चरौदा का स्कूल लेकिन अभी तक वहॉ का स्कूल को देखोगे तो भी स्कूल का जो बाउण्ड्री है आधा अधूरा है न बन पाया है तो यह सब बहुत गंभीर समस्या है इसमें शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए जिस गांव में तो संचालित होता है तो उस गांव का तो विकास होना चाहिए समुचित रूप से इसमें हम लोग विरोध उतना नहीं कर रहे हैं लेकिन विरोध का कंडीशन भी अपनाते हैं अधिकारी लोग अधिकारियों को तो सुनना भी चाहिए क्योंकि यह राजस्व का मामला है राजस्व के अधिकारी अगर गांव में राजस्व देंगे तो गांव का विकास मतलब समुचित रूप से होगा।

9. श्रीमती नीलिमा कोसले, जनपद सदस्य पलारी ने कहा कि मैं आपसे यह पूछना चाहती हूँ कि रेत घाट संचालन होता है और जैसे कि पूर्व में आपसे पूछा गया है कि गांव का विकास नहीं होता गौण खनिज के माध्यम से जितने भी रॉयल्टी जो कटती है डायरेक्ट पंचायत के लिए थ्रू होना चाहिए, अंग्रेज के जमाने से चरौदा में स्कूल संचालित हो रहा है लेकिन उसमें किसी भी स्कूल में अहाता नहीं है और खदान 24–24 घंटा आप लोग चलाते हो जिसकी वजह से जल स्तर बहुत ज्यादा नीचे होते जा रहा है जिससे बहुत ज्यादा समस्या हो रही है पॉल्यूशन भी होता है और उसकी वजह से कटाव भी हो रहा है, जिसकी वजह से नदी में प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है। उसमे डायरेक्ट जाने का जगह नहीं है नीचे जगह है तो जब गवर्नमेंट यह करती है तो इन सबका सॉल्यूशन पहले देखें कि नीचे जगह है उससे बहुत ज्यादा समस्या होती है तो उसका भी सॉल्यूशन किया जाए और ग्राम पंचायत चरौदा से लेकर नदी घाट जाने का जो रास्ता है वहॉ पर प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना जो होता है उसमें सड़क का निर्माण भी होना चाहिए।

10. श्री लोकनाथ जायसवाल ने कहा कि मैं इससे पहले 5 साल उप सरपंच था। सरपंच प्रतिनिधि हमारे गांव में यहॉ निजी जमीन है इस कारण हाईवा वगैरह चलाने में बहुत दिक्कत जाती है इसलिए हाईवा का ठेका नहीं होना चाहिए रेत घाट में।

अपर कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा द्वारा संबोधित किया गया कि इनके द्वारा जो सुझाव दिए गए हैं उस पर परियोजना प्रस्तावक अपनी बात रखें।

परियोजना प्रस्तावक की ओर से पंकज कुमार चंद्राकर द्वारा जानकारी प्रस्तुतीकरण के अनुक्रम में संबोधित किया कि संयुक्त लोक सुनवाई के कार्यक्रम में ग्राम वासियों द्वारा सुझाए गए विकल्पों को स्वीकार करते हुए माननीय अपर कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा, माननीय क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर, समस्त अन्य गणमान्य आगंतुक एवं उपस्थित समस्त ग्राम वासियों को यह आश्वासन देना चाहते हैं कि आवेदक द्वारा प्रस्तावित रेत खदान का संचालन अनुमोदित उत्खनन योजना में उल्लेखित नियमों के अनुरूप किया जाएगा एवं खदान संचालन के दौरान खनिज शाखा तथा पर्यावरण विभाग द्वारा निर्देशित नियमों का पूर्णतः पालन किया जाएगा। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ शासन की आदर्श पुनर्वास एवं रोजगार नीति के अनुसार योग्यता तथा अनुभव के आधार पर स्थानीय ग्रामीणों को परियोजना में प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान किया जाएगा। वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु सड़कों पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव करके प्रदूषण को काम किया जाएगा तथा अन्य धूल उड़ने वाले बिन्दुओं पर जल का छिड़काव करके धूल उत्सर्जन को नियंत्रित किया जाएगा। सड़कों का उचित रख–रखाव तथा वाहनों का संचालन तारपोलीन ढककर किया जाएगा। सड़कों में होने वाले दुर्घटना से बचाव के लिए प्रशिक्षित वाहन चालक लगाए जाएंगे एवं वाहन चालकों को सतत रूप से उचित दिशा निर्देश दिए जाएंगे। रेत का परिवहन पीयूसी प्राप्त वाहनों में और वाहनों को तारपोलीन से ढककर परिवहन के सभी नियमों का पालन करते हुए किया जाएगा, गतिसीमा में परिवहन किया जाएगा। नदी तट क्षेत्र में पर्यावरण प्रबंधन योजना के तहत 5000 नग पौधे स्थानीय प्रजाति के पौधों का रोपण तथा सुरक्षा के लिए चेन लिंक फेसिंग के साथ नियत अंतराल में वृक्षारोपण किया जाएगा। हमारे द्वारा ग्राम वासियों के मांग पर नलकूप का निर्माण करवाया जाएगा। ग्राम वासियों के द्वारा अन्य सुविधाओं की मांग जैसे– स्कूल के बाउंड्री वॉल की दीवाल एवं ग्राम पंचायत के विकास के अन्य कार्य के बारे में यह कहना चाहते हैं कि खदान संचालन के दौरान जिला खनिज डीएमएफ के रूप में उसमें निर्धारित राशि प्रतिमाह शासन को जमा की जाती है जिसका उपयोग शासन द्वारा इन मदों में किया जाता है। माननीय अपर कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा, माननीय क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर से हमारा अनुरोध है कि जिला खनिज निधि डीएमएफ के संबंध में की गई मांगों को यथोचित संज्ञान में लेते हुए निर्णय में लेते हुए संबंधितकार को सूचित करने की कृपा करें। पंचायत को रॉयल्टी राजस्व के लिए उचित कार्यवाई के लिए अध्यक्ष महोदय से निवेदन है। छत्तीसगढ़ गौण खनिज संधारण रेत नियम 2019 के अनुसार समस्त सार्वजनिक स्थलों में

नियमानुसार दूरी रखते हुए रेत उत्खनन हेतु कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) जिला बलौदाबाजार–भाटापारा छत्तीसगढ़ द्वारा संबंधित विभागों जैसे– ग्राम पंचायत, राजस्व विभाग, खनिज विभाग, वन विभाग इत्यादि से कानून सम्मत नियमानुसार प्रकिया के तहत अनुमोदित जांच प्रतिवेदन मंगाया जाता है। विभिन्न विभाग के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन को जांच लेते हुए कलेक्टर कार्यालय जिला बलौदाबाजार–भाटापारा छत्तीसगढ़ द्वारा टेंडर ऑक्शन जारी करते हुए विजेता को आशय पत्र जारी किया जाता है। ग्राम पंचायत द्वारा खदान संचालक की सहमति दोनों खदान के लिए प्राप्त है। भूजल प्रभावित नहीं होगी क्योंकि खनन 3 मीटर है और जल स्तर की गहराई से ऊपर तक सीमित रहेगा। भूमिगत जल के नीचे खदान में उत्खनन पूर्णतः प्रतिबंध होगा भूजल की गुणवत्ता प्रभावित नहीं होगी क्योंकि खनन करने से जल स्तर की गहराई के ऊपर तक सीमित रहेगा। रात्रिकालीन रेत खनन प्रतिबंधित किया जाएगा। नियमानुसार नदी तट से दूरी रखते हुए रेत खनन प्रलय क्षेत्र से जारी किया जायेगा, अतः नदी तट कटाव की स्थिति निर्मित नहीं होगी। मेरे खदान में फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन के समस्त बिंदुओं स्थान में हमारे द्वारा नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था की जाएगी। हमारे प्रकरण में संयुक्त लोक सुनवाई के दौरान जो भी आपत्ति, सुझाव या मुद्दे उठाए गए हैं उसके संबंध में हमारे द्वारा प्रस्तुत किए गए जवाब एवं जानकारी के अनुसार निराकरण किया जाएगा इस संबंध में शपथ पत्र भी राज्य स्तर पर राज्य समाघात पर्यावरण प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाएगा। ग्राम वासियों द्वारा दिए गए सुझाव एवं समर्थन का हम हृदय से धन्यवाद देते हैं।

अपर कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा द्वारा संबोधित किया गया कि आपके द्वारा दिए गए सुझाव, आपत्ति और आपके जो भी विचार है उसको जो है रिकॉर्ड कर लिया गया है और जो परियोजना प्रशासक ने जो बात कही है पौधारोपण की, अन्य निर्माण कार्यों की। जैसे कि अभी आप लोगों के द्वारा पता चला कि यहॉ पर भी जल का स्तर नीचे हो गया है तो मैं यह बताना चाहूॅगी कि जल की समस्या यह तो मेरे ख्याल से हर जगह है और हर जगह शुरू हो गई है तो इसका निदान जो है वह हम ही लोगों को करना है ऐसा नहीं कि यह एक व्यक्ति कर लेगा या हम लोग कर लेंगे या सरपंच कर लेगा, उसके अकेले की बात नहीं है यह सबको मिलकर करना है। पानी का संचयन करना है वह सबको मिलकर करना है। मैं जानना चाह रही हूॅ कि आपके गांव में कितने बोर हैं यहॉ पर सरपंच जी, 100 बोर हैं। यहॉ पर हम लोग आ रहे थे तो धान की फसल देख रहे थे। इस मौसम में धान की फसल ले रहे हो आप लोग, मतलब आपको पता है कि धान की फसल में सबसे ज्यादा पानी लगता है कई जिलों में धान की फसल इस मौसम बिल्कुल बैन है। चूंकि आज पर्यावरणीय स्वीकृति की एक कार्यवाही हो रही है। खदान की पर्यावरण से संबंधित बातें हो रही हैं इसीलिए मैं यह कह रही हूॅ। मैंने देखा रास्ते में बहुत से जगह पर

हरा–हरा धान का खेत दिख रहा था, तो ऐसा लगा कि यहॉ पर पानी की उतनी समस्या नहीं होगी, पर जैसे आप लोग बोल रहे हो कि यहॉ पर पानी का स्तर गिर गया है तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि जहॉ–जहॉ पर हम लोग चाहे स्कूल हो चाहे कोई भी जगह हो जहॉ पर हमने बोर खोदा है तो वहॉ पर सोकता गढ्ढा अवश्य रूप से लगाइए और यदि आपका घर बहुत बड़ा है मान लीजिए पक्का घर है बहुत बड़ा है तो छत में बारिश के पानी को नीचे ले जाने का पाईप सिस्टम रहता है उसको जरूर कर लीजिए क्योंकि उसमें पानी का जो स्तर यदि आपके घर में बोरिंग होगी तो वहॉ पर पानी का स्तर संतुलित रहेगा। मैंने खुद देखा है कई गांव में जैसे हम लोग जाते हैं तो देखते हैं कि घर का पानी कैसे बहता रहता है बीच नाली में बीच गली में बहते रहता है जो कि अच्छा भी नहीं दिखता है, तो कम से कम उस पानी को जो है आप सोकता गढ्ढा में कर लीजिए तो आपके पानी का स्तर भी बना रहेगा और जो आपकी गलियां है वह भी साफ रहेंगी। वृक्ष तो जरूर लगाइए और सोकता गढ्ढा और पानी को जितना भी हम बचा सकते हैं उतना हमको बचाना है। आज की जनसुनवाई में जो परियोजना प्रस्तावक हैं, आपके द्वारा जो बात कही गई है उन बातों में वृक्षारोपण तो करेंगे लेकिन साथ ही साथ वे वृक्ष यदी बचे रहे और जिंदा रहे तो बहुत बड़ी बात है। हम कहना चाहेंगे कि आप लोग जो वृक्षारोपण का प्रयास कर रहे हैं वह कीजिए और वृक्ष को जरूर बचाइए। धन्यवाद, आज की जनसुनवाई जो है यहीं पर खत्म किया जाता है। लोक सुनवाई का कार्यक्रम अपरान्ह 12:16 बजे समाप्त हुआ। लोकसुनवाई के संबंध में प्राप्त आवेदनों की संख्या 02 है। संपूर्ण लोकसुनवाई की फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी की गई।

श्रीमती नीलिमा सोनकर,
मुख्य रसायनज्ञ,
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल,
जिला–रायपुर

सुश्री दीप्ति गौते,
अपर कलेक्टर,
जिला बलौदाबाजार–भाटापारा